रामूराम बनाम जीयाराम
2022/40
निर्णय दिनांक:–15.07.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–29/2022 दर्ज तिथि:–03.03.2022

1. रामूराम पुत्र चैनाराम
   जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की ढाणी, पटवार हल्का चैनपुरा,तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. जीयाराम पुत्र रिड़मलराम
2. श्रीराम पुत्र रिड़मलराम
3. हरलाल पुत्र हीराराम
4. आदूराम पुत्र फगलूराम
5. जीयाराम पुत्र फगलूराम
6. सदराम पुत्र फगलूराम
7. ईशराराम पुत्र चौखाराम
8. भागीरथ पुत्र चैनाराम
9. गोकलाराम पुत्र धीमाराम
10. रूगनाथराम पुत्र पुत्र धीमाराम
11. सदराम पुत्र वीरमा
12. जालाराम पुत्र वीरमाराम
13. लाधुराम पुत्र वीरमाराम
14. बगडूराम पुत्र वीरमाराम
    जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की ढाणी,पटवार हल्का चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना

..................असल अप्रार्थी

15. सचिव,ग्राम पंचायत अणदाणियों की ढाणी,चैनपुरा तहसील धोरीमना
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमील अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:–श्री नारायण कुमावत
अप्रार्थीगण:–श्री देवाराम चौधरी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 148 / 3 / 3.3751 है0 किस्म बारामी दोयम वाके ग्राम अणदाणियों की ढाणी, पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर विप्रार्थीगण सीमांकन नहीं होने दे रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 तथा 15 विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 तथा 15 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 14 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय उपस्थित हुए।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपति व्यक्त नहीं की।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—****(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual pos*...
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 148 / 3 / 3.3751 है0 किस्म बारामी [illegible] अणदाणियों की ढाणी, पटवार हल्का चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना [illegible] प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों को पूर्व सूचित [illegible] आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

पर सीमाज्ञान किया जाकर मुताबिम सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

15/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested